FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0057 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 01/03/2026 17:52 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 15/10/2025 **Date To (दिनांक तक):** 27/02/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:00 बजे **Time To (समय तक):** 12:09 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/03/2026 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 01/03/2026 17:52:46 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 06 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** HOTAL GANGAUR KHASAKOTHI, JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** ANKIT KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MANGAL CHAND

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1989 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DHANKYA RAILWAY STATION, SINWAR, JODHPUR CITY WEST, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DHANKYA RAILWAY STATION, SINWAR, JODHPUR CITY WEST, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ANIL KUMAR AND OTHERS		पिता:MAHENDRA SINGH	1. 51,RAJENDRA NAGAR SIRSI ROAD,JAIPUR,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,80,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,80,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात इस प्रकार से हैं कि दिनांक 15.10.2025 को श्री अभिषेक पारीक, उप अधीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर के कार्यालय कक्ष में एक व्यक्ति उपस्थित आया एवं अपना नाम अंकित कुमार बताते हुये उसके कार्य के बदले रिश्वत मांगने के संबंध में एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया एवं अपने कार्य से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जिन्हे शामिल रिपोर्ट किया गया। श्री अभिषेक परीक उप अधीक्षक पुलिस ने श्री अंकित कुमार से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अंकित कुमार पुत्र मंगल चन्द निवासी धानक्या रेल्वे स्टेशन, सिंवार, जयपुर होना बताया। इसके पश्चात् श्री अभिषेक परीक उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री अंकित कुमार द्वारा पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसने अंकित किया कि सेवामे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर द्वितीय, विषय- रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाने बाबत, महोदय, निवेदन है कि मैं प्रार्थी अंकित कुमार पुत्र मंगल चन्द आयु 35 वर्ष निवासी धानक्या रेल्वे स्टेशन, सिंवार, वार्ड 12 जयपुर का रहने वाला हूं। सिंवार पटवार हल्के में मेरी पुस्तैनी जमीन खसरा नं. 691 जो मेरे पिताजी के नाम खातेदारी होकर स्थित है। उक्त खसरे में अन्य खातेदार द्वारा बिना तकासनामे के आवासीय कॉलोनी काट दी है। हमने उक्त खसरा भूमि के तकासनामे हेतु जयपुर तहसील में आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर हमारे निवेदन पर स्थगन आदेश तो जारी कर दिया परन्तु तकासनामें की कार्यवाही पैण्डिंग है। दिनांक 28/09/25 को जयपुर तहसील के गिरदावर बताकर अनिल कुमार ने मुझे मेरे मोबाइल न0 पर उसके मोबाइल नम्बर से whatspp कॉल कर मुझ से मिलने के लिए कहा जिसके बाद उसी दिन मैने उनके कहे अनुसार जालुपुरा थाने के पास मिलने पर कहा कि तुम्हारा तकासनामा ऐसे होगा नही मोटा पैसा लगेगा मैं तुम्हे दुबारा बताउंगा उसके बाद उन्होने whatspp से उक्त भूमि का नक्शा मांगा और मिलने के लिए सिरसी पांच्यावाला बुलाया व मिलकर कहा कि उक्त तकासनामे के लिए मोटी रकम लगेगी और मेरे से 5 लाख कि रिश्वत की मांग की और तहसीलदार से मिलकर दुबारा स्पष्ट बताने के लिए और उसके whatspp कॉल करके नक्शे वाले के मोबाईल न0 भेजे और कहा कि दुसरा नक्शा बनवा लेना अर उसके बाद whatspp कॉल करके मेरे से जवाब मांग रहा है। अब जब में उससे मिलने जाउंगा या उसके बताये नक्शे वाले व्यक्ति से मिलने जाउंगा तो वे मेरे से पुनः रिशवत राशी की मांग करेंगे मैं उन्हे रिश्वत राशी नहीं देना चाहता व उन्हे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं मेरी उनसे ना तो कोई रंजिश है और ना ही कोई लेन-देन बकाया है अतः कार्यवाही करने की कृपा करे। एसडी अंकित कुमार 15.10.25 नाम अंकित कुमार पुत्र मंगल चन्द निवासी धानक्या रेल्वे स्टेशन सिंवार जयपुर मो.न.

मामला प्रथम दृष्टया लोकसेवक अनिल गिरदावर जयपुर तहसील द्वारा रिश्वत मांगने का पाया जाने पर सत्यापन आवश्यक होने पर परिवादी अंकित कुमार को एसओ अनिल गिरदावर के पास भेजकर रिश्वत मांग सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया गया जिस पर परिवादी ने कहा कि इस समय सांयकाल का समय हो गया है अभी एस.ओ. अनिल गिरदावर नही मिलेगा। मैं उससे कल सुबह जाकर मिलूंगा। परिवादी अंकित कुमार ने बताया कि एसओ अनिल गिरदावर मुझसे सिरसी रोड जयपुर पर मिलेगा। इस पर परिवादी अंकित कुमार को दिनांक 16.10.2025 को प्रातः 9.30 बजे सिरसी रोड जयपुर पर मिलने के लिए हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 16.10.2025 को समय 9-30 ए.एम. पर श्री अभिषेक पारीक उप अधीक्षक मय पुरूषोतम है0कानि0 मय सरकारी डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड के रवाना होकर सिरसी रोड रोजवुड अपार्टमेन्ट के सामने आमदा परिवादी श्री अंकित कुमार से मिले और परिवादी श्री अंकित कुमार के मो.न. से एस.ओ. अनिल गिरदावर के मो.न. पर जरिये वॉटसएप कॉल पर 2 बार वार्ता करवाई, जिस पर एस.ओ. द्वारा परिवादी अंकित को अजमेर जाना व शाम को मुलाकात करने तथा नक्शे ट्रेस आदि के कार्य के संबंध में हरि शर्मा मो.न. से मिलने के लिये कहा। वार्ता के पश्चात् परिवादी को पुरूषोतम है0का0 के साथ मय सरकारी वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड परिवादी अंकित के बतायेनुसार हरि शर्मा के पास उसके व हरि शर्मा के मध्य होने वाली वार्ता को वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड में रिकॉर्ड करने हेतु समझाईस कर रवाना किया गया। समय 1-30 पी.एम. पर परिवादी अंकित कुमार मय पुरूषोतम है0का0 के कार्यालय में उपस्थित आकर परिवादी ने बताया कि एस. ओ. के बतायेनुसार नेहरू पार्क टोंक रोड जयपुर के पास स्थित हरिशर्मा की दुकान के पास पहुंचा जहां श्री पुरूषोतम है0कानि0 ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर मुझे दिया जिसे लेकर मैं हरि शर्मा के पास उसकी दुकान पर पहुंचा जहां मैने मेरे भूमि संबंधित नक्शे ट्रेस आदि तैयार किये इसी दौरान एस.ओ. अनिल गिरदावर का मेरे पास कॉल आया व उन्हाने हरि

शर्मा से बात कर उनके बतायेनुसार नक्शे ट्रेस तैयार करवाये तथा मुझे करीब 4.00 पी.एम. पर सिरसी रोड पर मिलने के लिये कहा उक्त वार्ता को रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद परिवादी अंकित कुमार को पुरूषोतम है0का0 के साथ मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर आवश्यक हिदायत कर एस.ओ. अनिल गिरदावर से सत्यापन वार्ता करने हेतु रवाना किया। समय 5-40 पी.एम. पर पुरूषोतम है0का0 ने जरिये मोबाईल श्री अभिषेक पारीक उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि मैं परिवादी के साथ रवाना होकर सिरसी रोड पहुंचा एसओ अनिल गिरदावर ने परिवादी अंकित कुमार को वॉटसअप कॉल पर वार्ता कर खातीपुरा तिराहे पर विनायक नाम की दुकान पर वार्ता करने के लिए बुलाया था। इस पर मैं मय परिवादी एसओ की बतायी खातीपुरा स्थित दुकान के बाहर समय 5.00 पी.एम. करीब पहुंचा तथा मैं बाहर रूका परिवादी अंकित को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर वार्ता के लिए रवाना किया था कुछ समय पश्चात् परिवादी अंकित कुमार बाहर आया जिसने मुझे रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसको बंद करने के उपरान्त परिवादी अंकित कुमार ने मुझे बताया कि मेरी अनिल गिरदावर से मेरे कार्य के संदर्भ में वार्ता हुयी है अनिल गिरदावर ने मेरा काम जमीन के तकासमे के कार्य की रिपोर्ट बनाकर तहसील से एसडीएम कार्यालय भेजने के लिए स्वयं के लिए 1 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग की है तथा इस रिश्वत राशि मे से कुछ अग्रिम रिश्वत राशि कल मंगायी है तथा मेरे तकासमें संबंधी अग्रिम कार्यवाही एसडीएम साहब से कराने के लिए एसडीएम के लिए भी रिश्वत राशि मांगी है तथा एसडीएम से वार्ता कर बताने अथवा परिवादी को एसडीएम से मिलाने की बात कही है। पुरूषोतम है0का0 द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादी तथा एसओ के मध्य हुयी वॉटसअप मोबाईल वार्ता व रूबरू सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड हुयी है। परिवादी अंकित कुमार को प्रातः 10.00 एएम पर कार्यालय उपस्थित होने की हिदायत की तथा पुरूषोतम है0का0 को रिकॉर्डर सुरक्षित रखते हुये प्रातः कार्यालय उपस्थित होने की हिदायत की। दिनांक 17.10.2025 को समय 10-00 ए.एम. पर उपस्थित परिवादी अंकित कुमार ने श्री अभिषेक पारीक उप अधीक्षक पुलिस से कहा कि मेरे जमीन के तकासमें संबंधी कार्य के लिए कल अनिल गिरदावर से बात हुयी है जिसने स्वयं के लिए 1 लाख रूपये की रिश्वत राशि मांगी है और कुछ पेशगी रिश्वत राशि मुझसे आज मंगायी है और इसके पश्चात ही वो मेरे काम के संबंध में तहसील स्तर से रिपोर्ट बनाकर आगे एसडीएम कार्यालय भेजेगा तथा अनिल गिरदावर ने मुझे कहा है कि एसडीएम साहब के यहां भी 1 लाख रूपये का खर्चा आयेगा फिर भी मैं एसडीएम साहब से बात कर लूंगा अगर वो ज्यादा मांगेगे तो मैं तेरी रूबरू बात करा दूंगा इसलिए मैं आज अनिल गिरदावर के पास वार्ता के अनुसार रिश्वत के रूप में बतौर पेशगी 20 हजार रूपये लेकर जाउंगा तो वह मुझसे 20 हजार रूपये प्राप्त कर लेगा जिस पर परिवादी अंकित कुमार द्वारा एसओ अनिल गिरदावर को दी जाने वाली अग्रिम रिश्वत राशि 20 हजार रूपये 500-500 के 40 नोट पेश करने पर उपरोक्त 40 नोटों की फोटो कॉपी की जाकर फोटोप्रतियों पर परिवादी, पुरूषोतम है0कानि0, उप अधीक्षक के हस्ताक्षर कर फोटोप्रतियों को बतौर साक्ष्य शामिल कार्यवाही किया गया एवं परिवादी अंकित कुमार को पूर्व में काम लिया जा रहा वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी अंकित को मय पुरूषोतम है0कानि0 मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर एसओ अनिल गिरदावर के पास रवाना किया गया। परन्तु एसओ अनिल गिरदावर बाहर होने के कारण मिलना नही हुआ। दिनांक 18.10.2025 को श्री पुरूषोतम हैड कानि0 ने उप अधीक्षक पुलिस को जरिये वाटसअप कॉल कर बताया कि "परिवादी के मोबाईल से एसओ के मोबाईल पर कॉल करवाया तो एसओ ने 200 फिट बाईपास के पास पैट्रोल पम्प पर मिलने के लिए कहने पर मैं व परिवादी 200 फिट बाईपास के पास पैट्रोल पम्प के पास पंहुचे जहां पर मैने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर दिया तथा परिवादी पैट्रोल पम्प के पास साईड मे चला गया जहां पर कुछ देर बाद परिवादी मेरे पास आया और बताया कि एसओ मेरे पास आ गया जिसने मुझसे 20000 रूपये रिश्वत राशि पेशगी के रूप मे प्राप्त कर ली है एवं मेरे काम के बारे मे वार्ता की है उक्त वार्ता डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे वॉयस रिकॉर्ड हो गयी है। दिनांक 24.10.2025, 28.10.2025 को परिवादी व अनिल गिरदावर की वाटसअप कॉल से वार्ता करवाई थी जिसमे परिवादी के कार्य के संबंध मे वार्ता हुई थी। तत्पश्चात दिनांक 29.10.2025 को परिवादी अंकित व अनिल गिरदावर की वार्ता हुई जिसमे अनिल गिरदावर ने कहा कि अपनी बाकी की राशि लाये हो क्या अपनी दो यानि दो लाख मे बात हुई थी जिसमे एक लाख मेरा था बाकी एक लाख तहसीलदार के देख लेगें जिस पर परिवादी अंकित ने अनिल गिरदावर को कहा कि मै आपको 20 हजार दे चुका हूं बाकी के 80 हजार रूपये आपके कल तक व्यवस्था कराता हूं आप फाईल लगाओ। उक्त वार्तालाप डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड हुई है। इस प्रकार उपरोक्त वार्तालाप मे अनिल गिरदावर परिवादी अंकित से उसके तकासमा संबंधी कार्य के लिए स्वंय व तहसीदार सहित तहसील के लिए एक लाख रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा है जिसमे से 20 हजार रूपये अनिल गिरदावर द्वारा पेशगी रिश्वती राशि पूर्व मे प्राप्त कर ली है तथा शेष 80 हजार रूपये की रिश्वत राशि परिवादी अंकित ने अनिल गिरदावर को दिनांक 30.10.2025 को देना तय किया है। तत्पश्चात दिनांक 30.10.2025 को समय 2.00 पी.एम. पर उपस्थित परिवादी अंकित ने उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि आज मेरी एसओ अनिल गिरदावर से बात हुई है जिसमे अनिल गिरदावर ने मेरी तकासमा संबंधी फाईल पटवारी व तहसीलदार के साईन करवाकर आगे एसडीएम कार्यालय भेजने की बात कही है तथा साथ ही अनिल गिरदावर ने मुझसे स्वंय तथा तहसीलदार एवं तहसील कार्यालय के लिए शेष रिश्वत राशि 80 हजार रूपये की मांग करते हुये कल मुझे बुलाया है और अनिल गिरदावर ने साथ ही मुझसे यह भी कहा है कि जब तक तुम बाकी रिश्वत राशि नही दोगे तब तक हो सकता है तहसीलदार आगे फाईल नही

निकाले एवं अनिल गिरदारवर ने एसडीएम के लिए भी फाईल जाने पर एक लाख रूपये एसडीएम के लिए भी रिश्वत की मांग की है। इस प्रकार उपरोक्त परिस्थितयों के अनुसार मुझे लगता है कि अनिल गिरदावर को जब तक मैं कुछ राशि नही दुंगा तब तक वो तहसीलदार से मेरी फाईल नही निकलवायेगा और यह भी सम्भावना है कि अगर मैं अनिल गिरदावर को कल जाकर तहसील के लिए तय की गई शेष रिश्वत राशि मे से कुछ राशि 20-30 हजार रूपये अग्रिम और दे देता हूं तो अनिल गिरदावर मेरी फाईल तहसीलदार से साईन करवाकर आगे एसडीएम कार्यालय मे भिजवा देगा और सम्भवतयाः शेष रिश्वत राशि 50 हजार रूपये के लिए तहसीलदार से तथा एसडीएम कार्यालय से संबंधित रिश्वत राशि एक लाख रूपये के लिए एसडीएम से भी बात करवा सकता है। इस पर अंकित की इच्छा अनुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया गया तथा पूर्व मे परिवादी के हमराह वास्ते सत्यापन वार्ता व कार्यवाही के दौरान सम्मिलित पुरूषोतम हैड कानि0 के अति आवश्यक पारिवारिक कार्य के कारण अवकाश चाहने पर पुरूषोतम हैड कानि0 को गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर अवकाश पर रवाना किया एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय से श्री पूरण सिंह हैड कानि0 95 को तलब कर परिवादी अंकित से परिचय करवाया गया। समय 3.00 पी.एम. पर परिवादी अंकित कुमार द्वारा एसओ अनिल गिरदावर को दी जाने वाली अग्रिम रिश्वत राशि 30 हजार रूपये 500-500 के 60 नोट पेश करने पर उपरोक्त 60 नोटों की फोटोकॉपी की जाकर फोटोप्रतियों पर परिवादी, श्री पूरण सिंह हैड कानि0 95, श्री अभिषेक पारीक उप अधीक्षक ने हस्ताक्षर कर फोटोप्रतियों को बतौर साक्ष्य शामिल कार्यवाही किया एवं परिवादी अंकित कुमार को पूर्व में काम लिया जा रहा वॉयस रिकॉर्डर में वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड श्री पूरण सिंह हैड कानि0 95 को सुपुर्द किया तथा पूरण सिंह हैड कानि0 को हिदायत की कि आप परिवादी से टाईपअप रखे, एसओ का कॉल आने अथवा मेरे द्वारा निर्देशित करने पर अग्रिम कार्यवाही करे। बाद हिदायत परिवादी अंकित को मय पूरण सिंह है0कानि0 मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर एसओ अनिल गिरदावर के संदर्भ मे अग्रिम कार्यवाही हेतु रवाना किया गया। मगर दिनांक 29.10.2025 को एसओ अनिल गिरदावर ने परिवादी अंकित से कोई सम्पर्क नही किया तत्पश्चात दिनांक 30.10.2025 को परिवादी अंकित व एसओ अनिल गिरदावर की वाटसअप कॉल वार्ता करवाई गई। परिवादी अंकित ने एसओ को बताया कि मैं घर की तरफ आ गया हूं तो एसओ ने परिवादी को कहा कि ठीक है यार आज बारीश हो रही है फिर देखेगें व परिवादी द्वारा डोक्यूमेण्ट की कॉपी की नकल के बारे मे कहा तो एसओ द्वारा टालमटोल करते हुये जवाब दिया गया। उक्त वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड किया गया । दिनांक 07.11.2025 को परिवादी अंकित ने उप अधीक्षक पुलिस को कहा कि अनिल गिरदावर ने सम्भवतयाः मेरी तकासमा सम्बंधी फाईल का तहसील से काम करवा दिया है और उसने मुझे से ामवार को रिश्वत लेनदेन व वार्ता के लिए बुलाया है अतः परिवादी अंकित को उपरोक्तानुसार एसओ अनिल गिरदावर को दी जाने वाली शेष रिश्वत राशि 80000 रूपये लेकर रिश्वत लेनदेन की तय दिनांक 10.11.2025 को प्रातः कार्यालय मे उपस्थित होने बाबत निर्देशित किया गया। दिनांक 10.11.2025 समय 7.30 ए.एम. पर परिवादी श्री अंकित उपस्थित कार्यालय आया तथा पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री बाबर खान, सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री शैलेश शर्मा कनिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये जिनसे उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री अंकित से परिचय करवाकर ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाही तो दोनों ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। उप अधीक्षक पुलिस ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अंकित कुमार को संदिग्ध अधिकारी श्री अनिल कुमार गिरदावर तहसील जयपुर को दी जाने वाली रिश्वत राशि 80000 रूपये प्रस्तुत करने को कहा, जिस पर परिवादी श्री अंकित ने अपने पास से 500-500 रूपये के 160 नोट कुल 80000/-रूपये निकाल कर उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये जिसकी पृथक से फर्दपेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 8.50 ए.एम. पर उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी जाब्ता, स्वतंत्र गवाह मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक उपकरणों लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादि के सरकारी व प्राइवेट वाहनों से तथा परिवादी अंकित को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर संचालन करने की प्रक्रिया समझायी जाकर परिवादी को सुपुर्द किया गया व परिवादी को श्री पूरण सिंह हैड कानि0 95 के साथ परिवादी की मोटरसाईकिल से गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना कर समय 9.15 ए.एम. पर उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के संस्कार स्कुल वैशाली नगर जयपुर के सामने पंहुच कर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को ऑन करके समय 09.22 एएम पर परिवादी अंकित व एसओ अनिल गिरदावर की वाटसअप कॉल पर वार्ता करवाई गई तो अनिल गिरदावर ने परिवादी को 11 बजे कलेक्ट्रेट मे मिलने के लिए कहा। तत्पश्चात उप अधीक्षक मय हमराहियान के कलेक्ट्रेट सर्किल पंहुच कर समय 11.22 एएम पर परिवादी अंकित के मोबाईल से एसओ अनिल गिरदावर के मोबाईल पर वाटसअप कॉल करवाया गया तो एसओ अनिल गिरदावर ने कलेक्ट्रेट मे कमरा नम्बर 30 मे मिलने के लिए बुलाने पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर वास्ते रिश्वत लेन देन हेतु रवाना किया गया। समय करीब 11.45 एएम पर परिवादी बिना कोई ईशारा किये उप अधीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया तथा परिवादी ने बताया कि मैं कलेक्ट्रेट के कमरा नम्बर 30 मे गया जहां पर एसओ अनिल गिरदावर उपस्थित मिला जिसने मुझे डिलींग क्लर्क के पास ले जाकर मेरी तकासमा फाईल भिजवाने के संबंध मे मालूमात किया तो पता चला कि मेरी तकासमा संबंधी फाईल दिनांक 29.10.2025 को ही भिजवा दी गई थी। उसके बाद मैने एसओ अनिल गिरदावर से पैसे ले आने के बारे मे कहा तो एसओ अनिल गिरदावर ने कहा कि ले आओ तो मेरे द्वारा कहा कि कब लाउं तो एसओ अनिल गिरदावर ने कहा कि बता दुगा मै तेरे

को और कहा कि नेक्सट डेट कब है तो मैने कहा कि नेक्स्ट डेट 18 को है तो एसओ अनिल गिरदावर ने मेरे को 17 तारीख को मिलने के लिए कहा जिस पर मेरे द्वारा एसडीएम वगैरहा के खर्चा के बारे मे पूछा तो एसओ अनिल गिरदावर ने कहा कि मैं 17 को एसडीएम साहब से बात करके बता दुंगा। तत्पश्चात उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी जाब्ता, स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी, मय सरकारी वाहन, प्राईवेट वाहनों के रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पंहुचकर श्री विकास कानि0 को तलब कर स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति मे परिवादी अंकित के लेपटॉप बैग मे से श्री विकास कानि0 से रिश्वती राशि 80000 रूपये निकलवाई जाकर एक लिफाफे मे डालकर कार्यालय की अलमारी के लॉकर मे सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 17.11.2025 रिश्वत लेनदेन हेतु परिवादी अंकित व एसओ अनिल गिरदावर की वार्ता करवाई तो एसओ अनिल गिरदावर ने कहा कि एसडीएम साहब आज तो बैठेगे नही, हमने तो कर दिया लेकिन एसडीएम साहब भी तो आपत्ति मांगगें, सामने वालो को एक मौका तो देगें, फिर परिवादी ने मिलने के बारे मे पूछा तो एसओ अनिल गिरदावर ने आज के लिए मना किया व परिवादी को कहा कि मैं बुला लुंगा। दिनांक 25.11.2025, 29.12.2025, 07.01.2026, 08.01.2026, 09.01.2026 को परिवादी अंकित एवं एसओ अनिल गिरदावर की आपस में काम के संबंध मे वार्ता हुई है जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे लगे एसडी कार्ड मे सेव हुई है। दिनांक 12.01.2026 को श्री पुरूषोतम सहायक उप निरीक्षक को कक्ष मे तलब कर पूर्व से काम मे लिया जा रहा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड को अलमारी से निकालकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे से पूर्व मे काम मे लिया गया एसडी कार्ड को बाहर निकाल कर अलमारी मे सुरक्षित रखा एवं दुसरा नया एसडी कार्ड जिसको खाली होना सुनिश्चित कर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे डाला गया एवं श्री पुरूषोतम सहायक उप निरीक्षक को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी अंकित के साथ वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया। जहां पर एसओ अनिल गिरदावर उपस्थित नही मिला जिसकी जरिये मोबाईल वाटसअप वार्ता हुई। तत्पश्चात दिनांक 23.02.2026 समय 12.10 पी.एम. पर अंकित उपस्थित कार्यालय आया एवं श्री अभिषेक पारीक उप अधीक्षक अवकाश पर होने के कारण परिवादी अंकित ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र को बताया कि अनिल गिरदावर की मेरी वाटसअप कॉल पर आज बात हुई है जिसमे मैने अनिल गिरदावर को कहा कि 20 तारीख को हो नही पाई वकील साहब मेडिकल एमरजेन्सी मे थे तो अगली तारीख 27 को दी है अब आगे क्या करना है आप बता दो तो अनिल गिरदावर ने कहा कि यही काम 27 को करा देना सभी मैटरो मे बहस करवा देना ताकि साहब फैसला ले सके, और वो कागज की मै बात कर लेता हूं साहब कागज किते लगेगें एवं मैरी शाम को अनिल गिरदावर से मिलने के बारे मे बात हुई है इसलिए आज शाम को अनिल गिरदावर से मिलने के लिए जाउंगा तो मेरी उससे मेरे काम के संबध मे बात होगी। जिस पर श्री पुरूषोतम सहायक उप निरीक्षक को तलब कर अभिषेक पारीक उप अधीक्षक पुलिस की कार्यालय की अलमारी से पूर्व से काम मे लिया जा रहा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड निकलवाकर श्री पुरूषोतम एएसआई को सुपुर्द कर परिवादी अंकित के साथ वास्ते मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया। समय 7.00 पी.एम. पर श्री पुरूषोतम सहायक उप निरीक्षक ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित कार्यालय होकर बताया कि मैं परिवादी अंकित के साथ रवाना होकर खातीपुरा मोड के पास पंहुच कर समय 05.42 पीएम पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर ऑन कर परिवादी अंकित के मोबाईल नम्बर से अनिल गिरदावर के मोबाईल नम्बर पर स्पीकर ऑन कर वाटसअप कॉल करवाकर मिलने के बारे मे पूछा तो अनिल गिरदावर ने कहा कि मै खातीपुरा मोड पे ही हूं इधर ही आ जाओ। तत्पश्चात डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को ऑन कर परिवादी अंकित को सुपुर्द कर वास्ते सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया गया जो कुछ समय बाद वापिस मेरे पास आया एवं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड मुझे सुपुर्द किया व परिवादी ने बताया कि मेरी अनिल गिरदावर से बात हुई है जिसको मैने रिकॉर्ड कर ली है एवं अनिल गिरदावर ने कहा कि 27 तारीख से पहले ही करना होगा एवं साहब को भी पुरे ही करने होगे व कितने करने है उस संबंध मे कल एसडीओ साहब से बात करके बताने के लिए कहा, आदि वार्ता हुई है। श्री अभिषेक पारीक उप अधीक्षक पुलिस अवकाश पर होने के कारण अग्रीम कार्यवाही हेतु मन छोटीलाल पुलिस निरीक्षक को निर्देशित किया गया एवं पत्रावली मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड एवं इससे पूर्व मुताबिक रनिंग नोट के दिनांक 16.10.2025 से दिनांक 09.01.2026 तक की सत्यापन वार्ता को रिकॉर्ड करने मे काम मे लिया गया सेनडिस्क 32 जीबी एसडी कार्ड प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया जाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। दिनांक 24.02.2026 समय 12.05 पी.एम. पर परिवादी अंकित मन पुलिस निरीक्षक छोटीलाल के पास उपस्थित कार्यालय आया एवं बताया कि कल दिनांक 23.02.2026 को अनिल गिरदावर से हुई वार्ता के अनुसार आज अनिल गिरदावर मुझे बतायेगा कि एसडीओ के लिए कितनी रिश्वती राशि लगेगी जिस पर कार्यालय की अलमारी मे से पूर्व से काम मे लिया जा रहा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड निकाल कर श्री पुरूषोतम सहायक उप निरीक्षक की उपस्थिति मे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को ऑन कर समय 12.15 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर से एसओ अनिल गिरदावर के मोबाईल नम्बर पर वाटसअप कॉल करवाया एवं स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई तो परिवादी अंकित ने एसओ अनिल गिरदावर से कहा कि सर हो गयी क्या बात तो अनिल गिरदावर ने कहा कि दस मिनट मे बताता हूं वो कही बैठे है, उक्त वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करवाया गया । समय 03.08 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर से एसओ अनिल गिरदावर के मोबाईल नम्बर पर वाटसअप कॉल करवाया एवं स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई तो परिवादी अंकित ने एसओ अनिल

गिरदावर से कहा कि यस सर तो अनिल गिरदावर ने कहा कि अंकित यार उन्होने तो कुछ ज्यादा ही बता दिये, वो तो अपन सोच रहे थे उससे दुगणे से भी ज्यादा बता दिये वो तो परिवादी अंकित ने कहा कि किते, आपको दिये एक के आसपास तो अनिल गिरदावर ने कहा कि नही पांच के लिए बोला है उन्होने तो और शाम को बात करते है अपन आदि वार्ता हुई जिसको डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड किया गया। चूंकि एसओ अनिल गिरदावर ने परिवादी अंकित को शाम को मिलने के बारे मे बोला है अतः डिजीटल वाईस रिकॉर्डर श्री पुरूषोतम सहायक उप निरीक्षक को सुपुर्द कर वास्ते सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी अंकित के साथ रवाना किया गया। समय 6.45 पी.एम. पर श्री पुरूषोतम सहायक उप निरीक्षक ने मन पुलिस निरीक्षक को जरिये वाटसअप कॉल कर अवगत करवाया कि परिवादी अंकित की एसओ अनिल गिरदावर से वार्ता हो गई है जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड हो गयी है। जिस पर दिनांक 25.02.2026 समय 10.30 ए.एम. पर श्री पुरूषोतम सहायक उप निरीक्षक मय परिवादी अंकित के उपस्थित कार्यालय आया एवं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड सुपुर्द किया गया। परिवादी अंकित ने बताया कि मै व पुरूषोतमजी रवाना होकर खातीपुरा साईड पहुंचे तथा एसओ के कॉल का इंतजार किया मगर कॉल नही आने पर समय 05.22 पीएम पर मैने मेरे मोबाईल नम्बर से अनिल गिरदावर के मोबाईल नम्बर पर वाटसअप कॉल कर आने के बारे मे पूछा तो उन्होने कहा कि मै अभी तहसील मे हूं आधे घण्टे बाद आउंगा। उक्त वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड किया गया एवं थोडी देर बाद समय 06.13 पीएम पर पुनः अनिल गिरदावर के मोबाईल पर वाटसअप कॉल कर आने के बारे मे पूछा तो उन्होने कहा कि मैं आ गया हूं खातीपुरा मोड से बाईपास से जस्ट पहले पैट्रोल पम्प के पास बुलाया। उक्त वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्डर किया गया एवं समय 06.18 पीएम पर श्री पुरूषोतमजी ने मुझे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को ऑन कर सुपुर्द किया तथा मै डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड को लेकर अनिल गिरदावर के पास वैशाली नगर की तरफ बाईपास से पहले पैट्रोल पम्प पर पंहुचा जहां मेरे को अनिल गिरदावर मिला जिससे मेरे जमीन की तकासमे संबंधी बात हुई एवं मैने अनिल गिरदावर को कहा कि 5 तो ज्यादा हो जायेगे तो अनिल गिरदावर ने कहा कि किते क कम कराउं फिर अनिल गिरदावर ने कहा कि तीन का देख ले मै कोशिश करूंगा कि साहब इसमे करो फिर मैने कहा कि 3 लाख ये और 80 हजार आप वाले अलग तो अनिल गिरदावर ने कहा कि हां परसो मेरे को शाम को देख लेना आदि वार्ता हुई जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड की गई है। मन पुलिस निरीक्षक ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को ऑन कर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताई गई बातों की ताईद हुई। चूकि पूर्व मे अनिल गिरदावर को दी जाने वाली 80 हजार रूपये रिश्वती राशि कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखी हुई अतः उपस्थित परिवादी श्री अंकित को शेष रिश्वती राशि 3 लाख रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 26.06.2026 को कार्यालय मे उपस्थित आने की हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 26.02.2026 समय 1.30 पी.एम. पर परिवादी श्री अंकित उपस्थित कार्यालय आया तथा पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री शैलेश शर्मा कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता पीएचईडी नगर उपखण्ड तृतीय उत्तर झोटवाडा जयपुर व श्री रोशनलाल मीना सूचना सहायक, राजस्थान आवासन मण्डल, सैक्टर 11 प्रतापनगर जयपुर उपस्थित कार्यालय है जिनसे मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री अंकित से परिचय करवाकर ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाही तो दोनों ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति प्रदान की एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहान को पढवाया जाकर प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये एवं अब तक की हुई कार्यवाही से अवगत करवाया गया। समय 3.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अंकित कुमार को अनिल गिरदावर के स्वंय के लिए एवं एसडीएम के लिए दी जाने वाली रिश्वत राशि प्रस्तुत करने को कहा, जिस पर परिवादी ने बताया कि अनिल गिरदावर ने मेरी जमीन के तकासमे के कार्य के लिए एसडीएम के लिए 3 लाख रूपये की रिश्वती राशि एवं स्वंय के लिए 1 लाख रूपये जिसमे से 20 हजार रूपये पूर्व मे रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिये जा चुके है तथा शेष राशि 80 हजार रूपये, इस प्रकार कुल 3.80 लाख रूपये रिश्वत की मांग की जिसमे से पूर्व मे दिनांक 10.11.2025 को अनिल गिरदावर को दी जाने वाली रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 160 नोट कुल 80000/-रूपये श्री अभिषेक पारीक उप अधीक्षक पुलिस को दिये थे जिन्होने अपनी कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखे है एवं मेरे पास फिलहाल 2 लाख रूपये की ही व्यवस्था हो पाई है तथा मैं इसके अतिरिक्त एक लाख रूपये के 500-500 रूपये के 200 नोट खिलोने की दुकान से मनोंरजन बैंक के लेकर आया हूं इस प्रकार दोनो को मिलाकर 03 लाख रूपये (2 लाख रूपये की प्रचलित भारतीय मुद्रा व 01 लाख रूपये मनोरंजन बैंक की डमी करेंसी) रूपये मेरे पास है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने उच्चाधिकारियो को अब तक के तथ्यों से अवगत कराते हुये अग्रीम कार्यवाही में परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिश्वत राशि 2 लाख रूपये भारतीय चलन मुद्रा के साथ मनोरंजन बैंक की डमी करेंसी के 500-500 रूपये के 200 नोटों को कार्यवाही में शामिल करने की मौखिक स्वीकृति प्राप्त की गई। परिवादी द्वारा प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 400 नोट कुल राशि 2,00,000/- रूपये व 500 रूपये जैसे दिखने वाले "भारतीय मनोरजंन बैंक" लिखी डमी करेंसी के 200 नोट जिन पर प्रत्येक डमी करेंसी नोट पर भारतीय मनोरजंन बैंक पांच सौ अंक व 500 व FULL OF FUN लिखा है रिश्वत राशि के रूप में मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये, इस प्रकार एसडीएम के लिए दी जाने वाली रिश्वत राशि कुल 3 लाख रूपये (2 लाख रूपये प्रचलित भारतीय मुद्रा एवं 1 लाख रूपये डमी करेंसी) पेश किये, परिवादी द्वारा प्रस्तुत 2 लाख रूपये भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के

400 नोट गवाहान से गिनवाये जाने के उपरान्त उक्त नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी मे क्रम संख्या 01 लगायत 400 पर अंकित किये विवरण जेल मे दर्ज है, इसके उपरान्त संदिग्ध अनिल गिरदावर को दी जाने वाली रिश्वती राशि 80 हजार रूपये 500-500 रूपये के 160 नोट जो दिनांक 10.11.2025 को मुताबिक रनिंग नोट तैयार फर्द पेशकशी के अनुरूप है व उक्त 500-500 रूपये के 160 नोट उप अधीक्षक अभिषेक पारीक की कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखे है उक्त 80 हजार रूपये की राशि के लिफाफे को श्री विकास कानि0 184 को तलब कर निकलवाया व कानि0 विकास नम्बर 184 से लिफाफे मे रखे 500-500 रूपये के नोटो को गवाहान व परिवादी के समक्ष गिनवाकर फर्द पेशकशी मे क्रम संख्या 401 से 560 तक नोटों के नम्बर अंकित किये जाने के उपरान्त फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही किया गया। समय 4.20 पी.एम. पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड को ऑन कर परिवादी अंकित के मोबाईल नम्बर नम्बर से अनिल गिरदावर के मोबाईल नम्बर पर स्पीकर ऑन कर वाटसअप कॉल करवाया गया मगर कॉल कनेक्ट नही हुआ एवं सामान्य कॉल भी करवाया गया मगर अनिल गिरदावर का फोन स्वीच ऑफ आने के कारण वार्ता नही हो पाई। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। दिनांक 26.02.2026 को परिवादी के मोबाइल से आरोपी के मोबाइल पर वाट्स अप कॉल करवाये गये परन्तु आरोपी का फोन स्विच ऑल था। इस पर परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि अनिल गिरदावर का मकान सिरसी रोड की तरफ है तो वो कार्यालय समय के पश्चात अपने घर आने के बाद मुझे कॉल कर बुला सकता है। जिस पर श्री विकास कानि. 184 को कार्यालय में ही छोड़ा जाकर मन् पुलिस निरीक्षक छोटीलाल मय श्री भूपेन्द्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री मनोहर सिंह एएसआई, श्री पुरूषोतम सहायक उप निरीक्षक श्री पूरण सिंह हेड कानि. 95, श्री अशोक कुमार हेड कानि. 137, श्री अशोक कुमार हेड कानि.149, श्री राजेन्द्र सिंह कानि. 55, श्री विरेन्द्र कुमार कानि. 66, श्रीमती ममता मकानि0 251, श्री सफी मोहम्मद कानि0 173 मय स्वतंत्र गवाहान श्री शैलेष शर्मा, श्री रोशनलाल मीना मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक उपकरणों लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादि के सरकारी वाहनों मय चालको के तथा परिवादी श्री अंकित को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड संचालन करने की प्रक्रिया समझायी जाकर परिवादी को सुपुर्द किया गया व परिवादी को श्री पुरूषोतम सहायक उप निरीक्षक के साथ परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना कर गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना होकर संस्कार स्कुल वैशाली नगर के पास पंहुचे परन्तु आरोपी का कॉल नहीं आने पर वापस ब्यूरो कार्यालय आये व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री विकास कानि0 को तलब कर परिवादी अंकित के जिस बैग मे रिश्वती राशि का पैकेट रखा हुआ है को विकास कानि0 से मन पुलिस निरीक्षक की कार्यालय की अलमारी के लॉकर मे सुरक्षित रखवाया एवं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड को कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखा। दिनांक 27.02.2026 को परिवादी अंकित उपस्थित कार्यालय आया एवं मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि अनिल गिरदावर का मेरे पास कॉल आ रहा है जिस पर श्री पुरूषोतम सहायक उप निरीक्षक को कार्यालय मे तलब कर कार्यालय की अलमारी से पूर्व मे काम मे लिया जा रहा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड के निकालकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर ऑन करवाया जाकर परिवादी अंकित के मोबाईल नम्बर से अनिल गिरदावर के मोबाईल नम्बर पर स्पीकर ऑन कर समय 10.22 एएम पर वाटसअप कॉल करवाया गया जिसमे परिवादी ने मिलने के बारे मे पूछा तो अनिल गिरदावर ने कलेक्ट्री आने के लिए कहा। उक्त वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड किया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री शैलेष शर्मा व रोशनलाल मीना के उपस्थित कार्यालय आने पर श्री विकास कानि0 को तलब कर दिनांक 26.02.2026 को रिश्वती राशि का बैग अलमारी मे रखवाया गया था, को विकास कानि0 से निकलवाया जाकर कानि0 विकास से बैग की चैन खुलवायी जाकर रिश्वती राशि पैकेट को चैक करवाया तो पैकेट यथास्थिति मे रखा हुआ पाया गया। तत्पश्चात बैग की चैन श्री विकास कानि0 से वापिस बंद करवाई जाकर रिश्वती राशि का बैग परिवादी अंकित को सुपुर्द कर हिदायत दी गई वो रिश्वती राशि के पैकेट को अनावश्यक रूप से नही छुये व संदिग्ध को रिश्वती राशि देते समय डमी करेंसी का आभास नही होने देने का प्रयास करें तथा होशियार व चैकन्ना रहें। साथ ही संदिग्ध रिश्वत राशि लेने के पश्चात उसको कहां रखता है यह भी ध्यान रखे। इसके पश्चात परिवादी अंकित को अनिल गिरदावर द्वारा रिश्वत प्राप्त करने के बाद सुविधानुसार ट्रेप टीम के किसी भी सदस्य को या मुझे मेरे मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल या सिर पर हाथ फेरकर या गाडी की खिडकी से हाथ निकालकर या गाडी का गेट खोलकर वापिस बंद कर नियत ईशारा करे। उपस्थित दोनो स्वतन्त्र गवाहान को भी हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व उनके मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री भूपेन्द्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री मनोहर सिंह एएसआई, श्री पुरूषोतम सहायक उप निरीक्षक श्री अशोक कुमार हेड कानि. 137, श्री अशोक कुमार हेड कानि.149, श्री राजेन्द्र सिंह कानि. 55, श्री विरेन्द्र कुमार कानि. 66, श्रीमती ममता मकानि0 251, श्री सफी मोहम्मद कानि0 173 मय स्वतंत्र गवाहान श्री शैलेष शर्मा, श्री रोशनलाल मीना मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक उपकरणों लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादि के सरकारी वाहनों मय चालको के तथा परिवादी श्री अंकित को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड संचालन करने की प्रक्रिया समझायी जाकर परिवादी को सुपुर्द किया गया व परिवादी को श्री पुरूषोतम सहायक उप निरीक्षक के साथ परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना कर गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना होकर कलेक्ट्रेट सर्किल जयपुर पंहुच कर परिवादी के मोबाईल नम्बर से संदिग्ध अनिल गिरदावर के मोबाईल पर वाटसअप कॉल

करवाया गया तो संदिग्ध अनिल गिरदावर ने कहा कि मैं गणगौर होटल खासाकोठी सर्किल के पास आ गया हूं तु वहां आ जा जिस पर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर ऑन कर सुपुर्द कर गणगौर होटल के लिए रवाना किया एवं मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान व स्वतंत्र गवाहान के गणगौर होटल के पास परिवादी के ईशारे के इंतजार मे गोपनीयता बरतते हुये मुकीम हुये जहां से परिवादी अंकित गणगौर होटल के अन्दर जाकर बांयी साईड मे पार्किंग की तरफ एक गाडी मे जाकर बैठता हुआ दिखाई दिया। समय 12.09 पीएम पर परिवादी अंकित ने गाडी का गेट खोलकर वापिस बंद कर रिश्वत लेनदेन का निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान व स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के पास गाडी पर पंहुचा जहां परिवादी श्री अंकित गाडी से बाहर आया जिससे मन पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर कब्जा एसीबी लिया तथा परिवादी अंकित ने गाडी मे बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा करके बताया कि यह अनिल गिरदावर है जिसने मेरे से अखबार मे लपेटी हुई रिश्वत राशि का पैकेट अपने दांये हाथ से पकडकर गाडी पीछे की सीट पर रखे एक थैले के अन्दर रख दिया ,जिस पर उस व्यक्ति को गाडी से उतरवाया जाकर उसके दांये व बांये हाथ को पोंचो से हमराह जाब्ता से पकडावाया जाकर काबु मे लिया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं स्वतंत्र गवाहान व जाब्ते का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री अनिल कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह उम्र 48 साल, जाति जाट, निवासी गांव कलवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनु हाल मकान नम्बर 51, राजेन्द्र नगर सिरसी रोड जयपुर एवं भू अभिलेख निरीक्षक, सर्किल पश्चिम तहसील जयपुर पर होना बताया जिस पर अनिल गिरदावर से रिश्वत राशि के बारे मे पूछा तो मैने कोई रिश्वत राशि नही ली है व रिश्वती राशि लेने के बारे मे इन्कार करता रहा एवं परिवादी से मेरा कोई लेना देना नही है तत्पश्चात अनिल कुमार को दिनांक 24.02.2026 को हुई सत्यापन वार्ता के अनुसार किस एसडीओ के लिए रिश्वती राशि ली गई है तो उसने बताया कि इस संबंध मे मेरी किसी से कोई वार्ता नही हुई जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने अनिल गिरदावर से परिवादी अंकित से मिलने का कारण पूछा तो अनिल कुमार ने बताया कि नक्शा लेने के लिए मिला हूं जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने नक्शे के बारे मे पूछा तो अनिल कुमार ने बताया कि गाडी की पीछे वाली सीट पर रखा है जिस पर परिवादी अंकित ने बताया कि ये झुठ बोल रहा है सिंवार पटवार हल्के में मेरी पुस्तैनी जमीन खसरा नं. 691 है जो मेरे पिताजी के नाम खातेदारी होकर स्थित है। उक्त खसरे में अन्य खातेदार द्वारा बिना तकासनामे के आवासीय कॉलोनी काट दी है। हमने उक्त खसरा भूमि के तकासनामे हेतु जयपुर तहसील में आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर हमारे निवेदन पर स्थगन आदेश तो जारी कर दिया परन्तु तकासनामें की कार्यवाही पैण्डिंग थी जिसको करने के लिए अनिल कुमार ने मेरे से फाईल आगे भेजने के लिए स्वंय के लिए 1 लाख रूपये की रिश्वत की मांग थी जिसमे से 20 हजार रूपये की अग्रिम रिश्वती राशि दिनांक 18.10.2025 को सत्यापन वार्ता के दौरान प्राप्त कर ली थी एवं तत्पश्चात दिनांक 24.02.2026 को दौराने सत्यापन वार्ता उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के लिए 5 लाख रूपये की रिश्वत राशि एवं स्वंय की शेष 80 हजार रूपये की वार्ता हुई थी जो बाद में उपखण्ड अधिकारी प्रथम के लिए 3 लाख रूपये की रिश्वत राशि एवं स्वंय के लिए 80 हजार रूपये की रिश्वत राशि दिनांक 27.02.2026 से पहले लेने के लिए तय की गई मगर दिनांक 26.02.2026 को अनिल गिरदावर का फोन स्वीच ऑफ होने के कारण वार्ता नही हो पाई एवं आज दिनांक को सुबह अनिल कुमार का कॉल आने पर मेरी अनिल कुमार से वार्ता हुई जिसने मुझे गणगौर होटल पर बुलाकर अपनी गाडी मे बैठकर उक्त रिश्वत राशि 380000 रूपये जिसमे 280000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के एवं 1 लाख रूपये भारतीय मनोरजंन बैक के डमी नोट जो अखबार मे लपेटे हुये थी को प्राप्त किये है जो इसकी गाडी की पीछे वाली सीट पर रखे थैले मे है एवं वर्तमान मे मेरा प्रकरण कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम मे लम्बित है। जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री रोशनलाल मीना से गाडी नम्बर आरजे 45 सीडब्ल्यू 1946 का पीछे वाला गेट खुलवाया जिसकी पीछे वाली सीट पर रखे थैले को उठवाकर चैक करवाया तो थैले के अन्दर एक प्लास्टिक फोल्डर के उपर अखबार में लपेटी हुई रिश्वती राशि का बण्डल रखा हुआ था जिसको स्वतंत्र गवाह रोशनलाल मीना के पास सुरक्षित रखवाया गया एवं गाडी की तलाशी स्वतंत्र गवाहान लिवाई गई तो गाडी मे अन्य कोई संदिग्ध वस्तु नही पाई गई। तत्पश्चात परिवादी अंकित एवं उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ट्रेप बॉक्स से एक साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें स्वच्छ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी अनिल कुमार के दांहिने हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क R-1 व R-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री अंकित तथा आरोपी श्री अनिल कुमार के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त विधि से ही ट्रेप बॉक्स से दुसरा साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोटल गिलास निकलवाकर उसमें स्वच्छ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी अनिल कुमार के बांये हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गदमैला होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों

मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क L-1 व L-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री अंकित तथा आरोपी अनिल कुमार के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये, तत्पश्चात जिस थैले के अन्दर अखबार में लपेटी हुई रिश्वती राशि का पैकेट मिला उस थैले जिस पर वेस्टर्न बायो सीड्स लिखा हुआ है जिसके अन्दर से अखबार में लपेटी हुई रिश्वत राशि का पैकेट जिस फोल्डर पर रखा हुआ है का धोवन लेने के लिए एक अन्य साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोटल गिलास निकलवाकर उसमें स्वच्छ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद एक कपडे की चिन्दी को गिला कर प्लास्टिक फोल्डर पर रगडवाया जाकर चिन्दी को उक्त मिश्रण मे डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क P-1 व P-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री अंकित तथा आरोपी अनिल कुमार के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये तथा जिस चिन्दी की सहायता से धोवन लिया गया है को सुखाकर एक कपडे की थैली मे डाकर सिल्ड मोहर कर मार्क P-3 अंकित किया जाकर दोनों गवाहान, परिवादी श्री अंकित तथा आरोपी अनिल कुमार के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गया। रिश्वती राशि का अखबार का पैकेट व जिस थैले मे से रिश्वत राशि को बरामद किया गया है उक्त थैले व प्लास्टिक फोल्डर को गवाहान के पास सुरक्षित रखवाया गया। उक्त स्थान पर लिखा पढी की व्यवस्था नही होने के कारण अग्रिम लिखा पढी की कार्यवाही हेतु नजदीक विधायकपुरी थाने पर करने का निर्णय लिया जाकर डिटेनशुदा आरोपी श्री अनिल कुमार, मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व उपरोक्त सिल्डशुदा पैकेट व जब्तशुदा अलामात मय रिश्वती राशि व जाब्ता व आरोपी का वाहन आरजे 45 सीडब्ल्यू 1946 को हमराह लेकर मय सरकारी वाहनो व चालक के विधायकपुरी थाने पर पंहुच कर थानाधिकारी पुलिस थाना विधायकपुरी से अग्रिम लिखापढी की कार्यवाही हेतु स्वीकृति एवं कमरा उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया तो थानाधिकारी ने अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुये स्वागत कक्ष अग्रिम लिखा पढी की कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाया जिस पर अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। तत्पश्चात अखबार महानगर टाइम्स दिनांक 26 फरवरी 2026 जिसमे रिश्वती राशि लपेटी हुई थी व जिस प्लास्टिक फोल्डर पर रखा हुआ था, उक्त थैला व प्लास्टिक फोल्डर जिस पर अंग्रेजी मे Benelux 300 लिखा हुआ है उक्त थैले एवं प्लास्टिक फोल्डर पर दोनो स्वतंत्र गवाह व परिवादी अंकित व आरोपी अनिल कुमार के हस्ताक्षर करवाकर एक कपडे की थैली मे रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क P अंकित किया जाकर थैली के पैकेट पर गवाहान, परिवादी अंकित व अनिल कुमार के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री रोशनलाल मीना के पास सुरक्षित रखी रिश्वती राशि का पैकेट खुलवाया गया जिसमे कुल 06 गड्डिया पाई गई जिनको स्वंतत्र गवहान से गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के कुल 560 नोट भारतीय चलन प्रचलित मुद्रा के एवं 500-500 रूपये के 200 डमी नोट पाये गये जिनमे 500-500 रूपये के कुल 560 नोट भारतीय चलन प्रचलित मुद्रा के नोटों के नम्बरों का मिलान कार्यालय मे दिनांक 26.02.2026 को बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो दोनों गवाहान ने नोटों के नम्बरों का व फर्द मे अंकित नम्बरों के हुबहु मिलान होना बताया। उक्त बरामद शुदा पांच-पांच सौ रूपये के 560 नोट कुल 2,80,000 रूपयों की एक गड्डी बनाई जाकर सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर गवाहान व परिवादी तथा आरोपी श्री अनिल कुमार के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया एवं 1,00,000 रूपये भारतीय मनोरंजन बैक के 200 डमी नोटों की एक गड्डी बनाई जाकर सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर गवाहान व परिवादी तथा आरोपी श्री अनिल कुमार के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया तथा अखबार महानगर टाइम्स दिनांक 26 फरवरी 2026 जिसमें उक्त रिश्वती राशि लिपटी हुयी थी पर स्वतंत्र गवाहान, आरोपी अनिल कुमार व परिवादी अंकित के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक कपडे की थेली में रखा जाकर शिल्ड मोहर कर मार्क N अकिंत किया जाकर संबंधित हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात दोनों गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी अनिल कुमार की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री शैलेष शर्मा से लिवाई गई तो आरोपी के पास दो मोबाईल क्रमशः कम्पनी मोटोरोला बरंग हल्का नीला मॉडल जी-6 जिसमे जियो कम्पनी की सम नम्बर लगी हुई जिसके आईएमईआई नम्बर व : जिसका पैटर्न लॉक L है व दुसरा मोबाईल एप्पल कम्पनी का आईफोन 13 बरंग निला, जिसमे बीएसएनएल कम्पनी की सिम नम्बर लगी हुई है व आईएमईआई नम्बर व है जिसके लॉक नम्बर 210576 में है। अनिल कुमार के पास मिले दोनो मोबाईलों को स्वीच ऑफ करवाया जाकर वास्ते जांच कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी अनिल कुमार की गाडी नम्बर आरजे 45 सीडब्ल्यू 1946 के बारे आरोपी अनिल कुमार से पूछा गया तो उक्त मेरी पत्नी श्रीमती लीलावती के नाम से है एवं उक्त वाहन संख्या आरजे 45 सीडब्ल्यू 1946 को बतौर वजह सबूत जरिये फर्द पृथक से कब्जा एसीबी लिया जावेगा। आरोपी अनिल कुमार भू अभिलेख निरीक्षक से परिवादी अंकित कुमार की जमीन के तकासमे संबंधी पत्रावली एवं अन्य संबंधित रिकॉर्ड के बारे मे पूछा तो श्री अनिल कुमार ने उक्त पत्रावली व रिकॉर्ड कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम मे होना बताया। जिसको पृथक से प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया जावेगा। दौराने

कार्यवाही वक्त रिश्वत लेनदेन की वार्तालाप जो परिवादी अंकित तथा अनिल कुमार भू अभिलेख निरीक्षक के मध्य हुई है जो विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे दर्ज है को ऑन कर मन पुलिस निरीक्षक ने गवाहान की उपस्थिति मे सुना गया तो उक्त वार्तालाप मे रिश्वती राशि 3.80 लाख रूपये प्राप्त करने के संबंध मे वार्तालाप दर्ज है। इस प्रकार अब तक की समस्त कार्यवाही तथा तथ्यों से आरोपी अनिल कुमार भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त पश्चिम तहसील जयपुर द्वारा परिवादी अंकित कुमार की सिंवार पटवार हल्के में पुस्तैनी जमीन खसरा नं. 691 जो परिवादी अंकित के पिताजी के नाम खातेदारी होकर स्थित है। उक्त खसरे में अन्य खातेदार द्वारा बिना तकासनामे के आवासीय कॉलोनी काटने पर परिवादी द्वारा उक्त खसरा भूमि के तकासनामे हेतु जयपुर तहसील में आवेदन प्रस्तुत करने पर स्थगन आदेश तो जारी कर दिया परन्तु तकासनामें की कार्यवाही करने के लिए आरोपी द्वारा स्वंय के लिए 1 लाख रूपये की रिश्वत की मांग करते हुये दिनांक 18.10.2025 को अग्रिम रिश्वत पेशगी राशि 20 हजार रूपये प्राप्त किये एवं दिनांक 24.02.2026 को उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जिसके पास परिवादी का प्रकरण लम्बित है से परिवादी के हक मे फैसला करवाने के लिए 5 लाख रूपये की रिश्वत राशि उपखण्ड अधिकारी प्रथम के लिए मांग करते हुये अंत मे 3 लाख रूपये रिश्वत उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के लिए एवं स्वंय के लिए शेष रिश्वत राशि 80 हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग तय करना व मांग के अनुसरण में दिनांक 27.02.2026 को कुल 380000 रूपये प्राप्त किये गये जिसमे से 2,80,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के एवं 1 लाख रूपये भारतीय मनोरंजन बैक के डमी राशि प्राप्त किया जाने से आरोपी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह उम्र 48 साल, जाति जाट, निवासी गांव कलवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनु हाल मकान नम्बर 51, राजेन्द्र नगर सिरसी रोड जयपुर एवं भू अभिलेख निरीक्षक, वृत्त पश्चिम तहसील जयपुर के विरूद्व जुर्म धारा 7, 12 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी अनिल कुमार द्वारा जिस गाडी मे बैठकर रिश्वती राशि प्राप्त की गई है जो प्रकरण का वजह सबूत होने के कारण स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति मे गाडी मुलायजा किया जाकर जरिये फर्द जब्त की गई। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री अनिल कुमार भू अभिलेख निरीक्षक, वृत्त पश्चिम जयपुर तहसील जयपुर को अपनी आवाज का नमूना देने हेतु जरिये फर्द नोटिस दिया गया तो आरोपी अनिल कुमार ने नोटिस की एक प्रति प्राप्त कर दुसरी प्रति पर अपनी नमूना आवाज देने से लिखित मे इन्कार किया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री अनिल कुमार भू अभिलेख निरीक्षक, वृत्त पश्चिम जयपुर तहसील जयपुर को जुर्म से आगाह कर उपरोक्त धारा मे जरिये फर्द नियमानुसार गिरफतार किया गया एवं धारा 47,48 बीएनएसएस 2023 के प्रावधानों के अनुसार नोटिस तैयार कर शामिल कार्यवाही किया गया। घटनास्थल पर श्रीमती ममता महिला कानि. 251 से विभागीय मोबाइल कैमरे से रिकॉर्डिंग करवायी गयी। रिकॉर्डिंग करने में काम में लिये गये एसडी कार्ड को पृथक से जब्त कर शामिल कार्यवाही किया जावेगा। फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी अंकित के पैण्डिंग कार्य के संबंध मे कार्यालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर मे लम्बित प्रकरण संख्या 152/2025 मंगला बनाम प्रेमदेवी की सम्पूर्ण पत्रावली मय नोटशीट कार्यालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर के पत्रांक 119 दिनांक 27.02.2026 से प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात दिनांक 28.02.2026 को परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका हालात मौका मुर्तिब किया गया। घटनास्थल की विडियोग्राफी विभागीय मोबाईल मे लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड होकर सेव है जिसकी नियमानुसार डीवीडीयां तैयार की गई। विभागीय वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड मांग सत्यापन वार्ताओं व रिश्वत लेन-देन के दौरान हुई वार्ताओं की नियमानुसार फर्द वार्तारूपान्तरण व सीडीयां/डीवीडीयां तैयार की गई एवं आरोपी अनिल कुमार का जब्त मोबाईल मोटोरोला जी-6 जिसमे मोबाईल नम्बर की सिम लगी हुई है की आरएएस राजेश जाखड से की गई वाटसअप चैट का प्रिन्ट लिया जाकर वाटसअप चैट का अवलोकन कर परिवादी अंकित एवं आरोपी अनिल कुमार के मध्य हुई वार्ता की तैयार ट्रांसक्रिप्ट से विशलेषण किया जाकर फर्द विश्लेषण तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही की गई। फर्द विश्लेषण से प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है कि परिवादी के जमीन संबंधी तकासमे की कार्यवाही से संबंधित प्रकरण कार्यालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर मे लम्बित था जिसकी जानकारी आरोपी अनिल कुमार भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा श्री राजेश जाखड उपखण्ड अधिकारी प्रथम को जरिये वाट्स अप कॉल एवं चैटिंग के द्वारा समय समय पर दी जाती रही है। जिससे स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी राजेश जाखड़ को सम्बन्धित प्रकरण की जानकारी थी और उनकी आपराधिक भूमिका अग्रिम विस्तृत अनुसंधान से स्पष्ट हो सकेगी। अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेन-देन वार्ता, पूछताछ आरोपी तथा अन्य परिस्थितजन्य साक्ष्यों से पाया गया कि अनिल कुमार भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त पश्चिम तहसील जयपुर द्वारा परिवादी से उसके वैध कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण प्राप्त करने के आशय से परिवादी अंकित कुमार पुत्र मंगल चन्द निवासी धानक्या रेल्वे स्टेशन, सिंवार, जयपुर की सिंवार पटवार हल्के में पुस्तैनी जमीन खसरा नं. 691 जो परिवादी अंकित के पिताजी के नाम खातेदारी होकर स्थित है। उक्त खसरे में अन्य खातेदार द्वारा बिना तकासनामे के आवासीय कॉलोनी काटने पर परिवादी द्वारा उक्त खसरा भूमि के तकासनामे हेतु जयपुर तहसील में आवेदन प्रस्तुत करने पर स्थगन आदेश तो जारी कर दिया परन्तु तकासनामें की कार्यवाही करने के लिए स्वंय के लिए 1 लाख रूपये की रिश्वत की मांग करते हुये दिनांक 18.10.2025 को अग्रिम रिश्वत पेशगी राशि 20 हजार रूपये प्राप्त किये एवं दिनांक 24.02.2026 को उपखण्ड अधिकारी

जयपुर प्रथम जिसके पास परिवादी का प्रकरण लम्बित है से परिवादी के हक मे फैसला करवाने के लिए 5 लाख रूपये की रिश्वत राशि उपखण्ड अधिकारी प्रथम के लिए मांग करते हुये अंत मे 3 लाख रूपये रिश्वत उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के लिए एवं स्वंय के लिए शेष रिश्वत राशि 80 हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग तय करना व मांग के अनुसरण में दिनांक 27.02.2026 को कुल 380000 रूपये प्राप्त किये गये जिसमे से 280000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के एवं 1 लाख रूपये भारतीय मनोरंजन बैक के डमी राशि प्राप्त किया जाना प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह उम्र 48 साल, जाति जाट, निवासी गांव कलवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनु हाल मकान नम्बर 51, राजेन्द्र नगर सिरसी रोड जयपुर एवं भू अभिलेख निरीक्षक, वृत्त पश्चिम तहसील जयपुर के विरूद्व जुर्म धारा 7, 12 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह उम्र 48 साल, जाति जाट, निवासी गांव कलवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनु हाल मकान नम्बर 51, राजेन्द्र नगर सिरसी रोड जयपुर एवं भू अभिलेख निरीक्षक, वृत्त पश्चिम तहसील जयपुर व अन्य संदिग्ध के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस-2023 में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट ड्राफ्ट वास्ते क्रमांकन अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।भवदीय, (छोटीलाल) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-द्वितीय, जयपुर।.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री छोटीलाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 61(2) बीएनएस-2023 में आरोपी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह उम्र 48 साल, जाति जाट, निवासी गांव कलवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनु हाल मकान नम्बर 51, राजेन्द्र नगर सिरसी रोड जयपुर एवं भू अभिलेख निरीक्षक, वृत्त पश्चिम, तहसील जयपुर व अन्य संदिग्ध के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 414 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 418-21 दिनांक 01.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1,जयपुर 2- जिला कलक्टर, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर आयुक्तालय 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** SURESH KUMAR SWAMI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 01/03/2026 17:55:19

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1978				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)